

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प० ग्राहितयर सर्किट कोर्ट रीवा ₹५०५०

प्र०क०/आर०-दो/ 2014,



B-15-

R-2560-13-14

श्रीमती किरण देवी मिश्रा पत्नी श्री कृष्णांकर मिश्रा उम्री लगभग 35
बर्ष पेता गृह कार्य निःग्राम सगरा खुर्द पत्रालय थाना व तहसील हनुमना
जिला रीवा ₹५०५०-- आवेदिका/ निगराकार

बनाम

1- श्रीमती बृजकली धर्म पत्नी श्री उमाईंकर ब्रा० उम्री लगभग 7। बर्ष।

सेवर 2- श्रीमती कमला तिवारी धर्म पत्नी श्री अमरनाथ तिवारी उम्री लगभग
4। बर्ष -दोनों का पेता गृह कार्य सर्व निःग्राम सगरा खुर्द पत्रालय
थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा ₹५०५०।

3- इासन म०प० - - - - - अनावेदक/वैरनिगराकार

क्रमांक 2355

हैरिस्टिक लेटर संख्या आज
टिमांड को प्राप्त

क्रमांक अनुसूची कोर्ट २५-७/४
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्राहितयर

निगरानी धारिका अन्तेगत धारा ५०५०

भू-राजस्व संहिता सं. १९५९ ई०।

निगरानी बिल्ड निष्पि न्यायालयश्रीमान्
अपर क्लेक्टर महोदय रीवा के निःप०

19/अ/74/13-14 आदेश दिनांक 01-03-2014

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

१। अ०- यह विवाह आवेदिका जिसे अन्यत्र निगराकार के रूप में सम्बोधित किया जावेगा, के द्वारा ग्राम सगरा खुर्द तहसील हनुमना स्थित भूमि नं० १८३/१ के रक्वा ००६४३ आरे का अंश भाग ००४१ आरे जरिस पंजीकृत विक्रय सही पत्र दिनांक 27-11-2010 को मुस. इयामा शुक्ला पत्नी स्व. अंजुन प्रसाद कानूनी शुक्ला से क्य कर मुताविक विक्रय पत्र काबिज द्वारा चली आ रही है।

२। ब०- यह विवाह तत्कालीन हल्का पत्वारी बैर तद्दम अधिकारी के आदेश सुना के के ही अनावेदिका वृमांक दो ते अन्यथा प्रभावित होकर मौकेकी स्थिति के विपरीत आवेदिका की गैर जानकारी सर्व बिना किसी सुचना के दिनांक

किरण मिश्रा

राम सुशील शर्मा २०१६-१८
अधिकारी
प्रभा प्रम-ग्राम-एल-एल-बी०
ग्राम (२० प्र०)

(160)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2560—तीन / 2014

जिला—रीवा

श्रीमती किरणदेवी मिश्रा / श्रीमती बृजकली वगैर:

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसुशील शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	

प्राप्त करने के लिए अन्यथा
प्रकार की गैर जानकारी

